

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा आंबटित बजट

(करोड़ रुपए)

क्रम. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	बजट	संशोधित	बजट
		2015-2016	2014-2015	2015-2016
1	कृषि और सहकारिता विभाग	1217.60	1112.00	1214.64
2	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	361.00	289.35	370.00
3	पशु-पालन, डेरी कार्य और मत्स्य पालन विभाग	217.40	180.12	149.42
4	आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	106.90	46.68	100.80
5	रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	31.17	31.17	25.00
6	उर्वरक विभाग	9.99	0.23	5.00
7	भेषज विभाग	21.00	4.00	21.00
8	कोयला मंत्रालय	66.15	57.05	30.60
9	वाणिज्य विभाग	243.00	230.50	143.00
10	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	229.97	261.87	226.47
11	डाक विभाग	80.00	23.46	46.87
12	दूर-संचार विभाग	750.00	297.60	520.00
13	इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	382.00	180.76	257.00
14	उपभोक्ता मामले विभाग	22.10	14.64	18.45
15	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	172.35	88.76	90.49
16	संस्कृति मंत्रालय	183.50	150.00	145.50
17	रक्षा मंत्रालय	0.00	0.00	45.00
18	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	2306.00	1800.00	2334.50
19	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	1526.00	1210.00	623.00
20	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	181.77	135.18	145.29
21	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	77.00	60.00	48.00
22	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	3064.50	2440.00	2454.90
23	स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	72.60	61.00	71.32
24	एड्स नियंत्रण विभाग	178.50	130.00	139.70
25	भारी उद्योग विभाग	95.00	325.86	104.00
26	सरकारी उद्यम विभाग	0.90	0.50	0.90
27	गृह मंत्रालय	75.00	50.00	29.00
28	पुलिस	1075.00	763.90	671.00
29	आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	600.00	287.91	525.00
30	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	5198.20	4351.15	3925.20
31	उच्चतर शिक्षा विभाग	1639.50	1258.35	1542.33
32	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	100.50	75.20	92.00
33	श्रम और रोजगार मंत्रालय	249.60	148.30	215.30
34	विधि और न्याय	110.30	98.73	80.66
35	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	333.00	221.49	262.32
36	खान मंत्रालय	41.67	33.25	26.96
37	अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	368.50	281.90	250.82
38	नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	94.00	66.00	29.00
39	पंचायती राज मंत्रालय	700.00	340.00	10.00
40	विद्युत मंत्रालय	964.22	570.00	680.00
41	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	3000.00	3000.00	4000.00
42	ग्रामीण विकास विभाग	4184.30	2706.52	3380.50
43	भू-संसाधन विभाग	375.00	258.00	157.28
44	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	150.00	139.50	160.68
45	पोत परिवहन मंत्रालय	84.90	40.00	93.28

क्रम. सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	बजट	संशोधित	बजट
		2015-2016	2014-2015	2015-2016
46	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	0.00	0.00	150.00
47	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	229.56	202.67	236.43
48	अशक्तता मामले विभाग	56.50	35.94	57.29
49	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	52.80	31.63	40.25
50	कपड़ा मंत्रालय	483.10	350.00	352.33
51	पर्यटन मंत्रालय	189.00	110.00	128.00
52	जनजातीय कार्य मंत्रालय	203.11	170.00	479.22
53	शहरी विकास विभाग	150.00	150.00	100.00
54	जल संसाधन नदी विकास और गंगा पुनरुद्धार मंत्रालय	1474.00	540.00	361.00
55	महिला तथा बाल विकास मंत्रालय	2110.00	1850.00	1028.70
56	युवा कार्य तथा खेल मंत्रालय	219.40	98.00	150.23
57	वित्त मंत्रालय	17898.16	17898.16	2000.00
	कुल जोड़	54005.72	27359.17	28545.63

केंद्रीय आयोजना के भाग के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र को किए गए आबंटन के अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र को चौदहवें वित्त आयोग के पंचाट के अनुसार विभाजन पश्च राजस्व घाटे (₹ 1130 करोड़) स्थानीय निकाय (₹ 934 करोड़) और प्राकृतिक आपदा प्रबंध (₹ 580 करोड़) के लिए अतिरिक्त सहायता-अनुदान दिए जाएंगे। करों के केंद्र का हिस्सा देने के संदर्भ में संसाधनों के क्षतिज वितरण में वृद्धित पूल और वन कवर के भारांश के कारण पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को नाममात्र लाभ होगा।